संख्या: 45/2024/546/छप्पन-2024-11/2013(Drain)टी.सी.-ए

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 19 अप्रैल, 2024

विषयः जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–08/आर0सी0एस0-2024-ए-3/2018 दिनांक 09 अप्रैल, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण में द्वितीय किश्त के रूप में परियोजना की स्वीकृत लागत रू0 5441.06 लाख की 25% धनराशि रू0 1360.265 लाख (रूपए तेरह करोड़ साठ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण की आंकलित लागत रू0 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्नवे लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि कतिपय शर्तो के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में निर्मित महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम (पूर्व नाम- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट) की जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण कार्य की शासनादेश संख्या 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लागत रू0 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु, द्वितीय किश्त के रूप में कुल लागत के सापेक्ष लगभग 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1323.64 लाख (रूपए तेरह करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार मात्र) का धनाबंटन जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

<u>शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) आवंटित की जा रही धनराशि में से, प्रश्नगत परियोजना में निहित दोनों स्वीकृत कार्यों की पृथक-पृथक लागत के सापेक्ष लगभग 25 प्रतिशत धनराशि व्यय की जाएगी।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) शासनादेश संख्या 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए दिनांक 31 मार्च, 2023 के सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1323.64 लाख (रूपए तेरह करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी।

5- उक्त व्यय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-2031/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

संख्या- 45/2024/546(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/जल निगम, उ0प्र0।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/अयोध्या।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2.
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।